2020/00254

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — बनाम — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री डॉ. पी.एम. सिंहदेव पुत्र श्री जी.रामचन्द्र मीना
जाति मीना
निवासी 7 / 8 गीता विहार
हरी मार्ग जगतपुरा जयपुर
जिला जयपुर

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
तहसीलदार सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं. 56 वर्ष 2020

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
21.08.2020	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरोही को दिनॉक 08.07.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के प्रकरण संख्या अपील / डिक्री / 134 / 01 / सिरोही(4330 / 1) के निर्णय दिनांक 14.06.2010 द्वारा राजस्व अपील अधिकारी सिरोही एवं सहायक कलक्टर आबूपर्वत के निर्णय निरस्त कर तहसीलदार सिरोही को प्रकरण भेजा उस पर समुचित साक्ष्य देकर निर्णय करने के निर्देश से संबंधित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा नहीं कराये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरोही को दिनॉक 08.07.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के प्रकरण संख्या अपील / डिक्री / 134 / 01 / सिरोही(4330 / 1) के निर्णय दिनांक 14.06.2010 द्वारा राजस्व अपील अधिकारी सिरोही एवं सहायक कलक्टर आबूपर्वत के निर्णय निरस्त कर तहसीलदार सिरोही को प्रकरण भेजा उस पर समुचित साक्ष्य देकर निर्णय करने के निर्देश से सम्बन्धित चाही गई समस्त सूचना उन्हे निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नही कराई गई है। अपीलांट द्वारा क्या सूचना चाही गई थी की प्रतिलिपी एवं निर्धारित शुल्क जम[illegible] अपील के साथ प्रस्तुत नहीं किये गये है। अतः अपीलांट की अ[illegible] खा[illegible] की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर स[illegible]हो । (भगवती प्रसाद) जिला कलक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.12 16:50:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner